Form II (SEE RULE-12) NOTICE TO FILE CLAIMS AND OBJECTIOS

1. The preliminary Electoral Roll of Voters for the Cantonment of Meerut is open to inspection at the Cantonment Board office daily between 11:00 AM to 4:00 PM upto 20th July 2023.

2. Any person who claims to be entered in this Roll and who is not entered therein or is entered in an incorrect place or with incorrect particulars may put in a claim addressed to the Chief Executive Officer to have his name entered, or the registry corrected, as the case may be.

3. Any person whose name is borne on this Roll and who objects to the inclusion of his own name, or that of any other person whose name is on the roll, may prefer the objection addressed to the Chief Executive Officer.

4. Claims shall be preferred in Form III & objection sin Form IV or Form-IVA appended to this notice and must be signed by the claimant or objector or by his duly authorized agent; copies of the form will be supplied free by the Chief Executive Officer on application.

5. Claims and objections may be presented to the Chief Executive Officer at any time during office hours or

sent by post but it must reach him within twenty days of issue of this notice.

6. Claims and objections which are not preferred in the proper form or are not received by the date prescribed will be rejected.

7. All claims and objections received in time and in proper form will be heard by the President Cantonment Board or his Nominee at office of Cantonment Board, Meerut at on 10.08.2023 at 11:00 hours.

Sd/PRESIDENT CANTONMENT BOARD
MEERUT CANTONMENT

No. 236/T/ Office of the Cantonment Board, Meerut dated 28 June' 2023.

प्रारूप II (देखें नियम—12)

दावे और आक्षेप फाइल करने के लिये सूचना

1. मेरठ छावनी के मतदाताओं की प्रारम्भिक निर्वाचक नामावली निरीक्षण के लिये प्रतिदिन पूर्वाहन 11 बजे से अपरान्ह 4 बजे के मध्य 20 जुलाई 2023 तक छावनी बोर्ड के कार्यालय में उपलब्ध रहेगी।

2. कोई व्यक्ति जो अपना नाम इस नियमावली में दर्ज कराने का दावा करता है जिसका नाम इसमें दर्ज नहीं है या किसी गलत स्थान पर अथवा गलत विशिष्टियों के साथ दर्ज है मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सम्बोधित यथास्थिति अपने नाम को दर्ज कराने या रिजस्टर सम्बन्धित त्रुटि ठीक करने को दावे में सम्मिलित कर सकेगा।

3. कोई व्यक्ति, जिसका नाम इस नामावली में है और जो अपना स्वयं का नाम या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के, जिसका नाम नामावली में है, नाम को सिम्मिलित किये जाने के बारे में आक्षेप करता है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को आक्षेप भेज सकेगा।

4. दावे इस सूचना के आबद्ध प्रारूप 3 में और आक्षेप का 4 या प्रारूप 4-क में किये जायेंगे तथा वे दावाकर्ता या आक्षेपकर्ता या उसके सम्यक रूप में प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होंगे। प्रारूपों की प्रतियाँ मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा आवेदन पर मुफ्त प्रदान की जायेंगी।

5. दावे और आक्षेप मुख्य कार्यपालक अधिकारी को कार्यालय समय के दौरान किसी भी समय प्रस्तुत किये जा सकते हैं या डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं किन्तु इस सूचना के जारी किये जाने की तारीख के 20 दिन के भीतर अवश्य पहुँच जाने चाहिये।

दावे और आक्षेप जो उचित प्रारूप में नहीं किये गये हैं या विहित तारीख तक प्राप्त नहीं हुए हैं अरवीकृत कर दिये जायेंगे।

7. समय और उचित प्रारूप में प्राप्त सभी दावे और आक्षेप दिनांक 10.08.2023 को प्रातः 11:00 बजे अध्यक्ष छावनी परिषद या उसके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा कार्यालय छावनी परिषद मेरठ में सुने जायेंगे।

ह0 / — अध्यक्ष, छावनी परिषद मेरठ।

संख्या 236 / टी / कार्यालय छावनी परिषद मेरठ दिनांक 28 जून 2023